

प्रेषक,

महत्ता श्रीवास्तव,  
उप सचिव,  
उत्तर प्रदेश धारान।

सेवा में,

सचिव,  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,  
शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र,  
प्रीति विहार, नई दिल्ली।

शिक्षा (2) अनुभाग

लखनऊ दिनांक 19 मई 2008

विषय :- न्यू आर0ए230जे0 पब्लिक स्कूल उरतापुर, गढ़पूड़ाबाद, उतमान रोड, झुंघी, इलाहाबाद को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाता।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त सार्वजनिक विद्यालय को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित शर्तों के अधीन आपत्ति नहीं है-

- (1) विद्यालय की पञ्जीकृत सौसायदी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- (2) विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा गणित एक सदस्य होगा।
- (3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के भेगावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहें और उनसे उच्चतम माध्यमिक शिक्षा परिषद/बैसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- (4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता सेटल होर्ड आफ सेक्रेट्री एजुकेशन नई दिल्ली/कोऑर्डिनेटर दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट इवजागनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषदों से संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उच्चतम माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।
- (5) संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य शर्तों से कम वेतनमान तथा अन्ना भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
- (6) कर्मचारियों की सेवा शर्त बनायी जायगी और उन्हें सहायता प्राप्त अराजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा।

- (7) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
- (8) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रश्न पंजीकों में रखा जायेगा।
- (9) उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/ संशोधन/ परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

2- उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

(ममता श्रीवास्तव)  
उप. प्राध्यापिका।

प्रमुख्यालय दिनांक तदति

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

- 1- शिक्षा निदेशक(माओ), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- मंडलीय समूह शिक्षा निदेशक, इलाहाबाद।
- 3- विद्या विद्यालय निदेशक, इलाहाबाद।
- 4- निदेशक, मानव भारतीय विद्यालय, सारन, लखनऊ।
- 5- अध्यक्ष, यू.ओ.आर.ए.सी.के. पब्लिक स्कूल, उस्तापुर, महमूदाबाद, उस्तापुर रोड, इलाहाबाद।
- 6- गाँव मुखिया।

आज्ञा से,

(ममता श्रीवास्तव)  
उप. प्राध्यापिका।